समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आपूर्त्ति शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–29/(बजट) दिनांक–19.09.2012 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति–लघुषीर्ष–001 निदेश्न और प्रशासन, मांग संख्या–18 उपशीर्ष–0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या–N–3456000010002, गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की शेष अवधि के लिए ब्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में प्राप्त आवंटन में से निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को तालिका "ख" में नाम के संम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

तलिका "ख"

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	दूरभाष	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर	7000	—	—	—	—	7000

(कुल मो0 सात हजार रूपये मात्र)

(1) यह राशि मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति लघुशीर्ष 001 निदेश्न और प्रशासन उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या–N–3456000010002, मांग संख्या–18 (गैर योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–422 दिनांक–31.03.2012 पत्रांक–4201/वि0 दिनांक–04.12.2011 एवं पत्रांक–2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् सम्बंधी समय–समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

(4) इस आवंटन से न्यायिक मामलों से सम्बंधित वादों एवं सेवा निवृत आपूर्त्ति पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान कर देगें ताकि वैसे मामले में न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़ें।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्ययन की गई राशि की इकाईवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र "क" एवं "ख" में अगले माह की 10 वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दें। व्यय विवरणी विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध नहीं करायें जाने की स्थिति में व्यय सम्बंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होगे

(6) इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 915 /जि0आ0, दिनांक 25/10/2012

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 915 /जि0आ0, दिनांक 25/10/2012

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/12

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।